

कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

खुली बोली नीलामी की सूचना

पत्रांक: 222/रि0अनु0/न0नि0सहा0/2026-27

दिनांक :- 18/09/2026

सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक मेला म्हाडी (गंगोह रोड मानकमऊ) हेतु खुली बोली नीलामी दिनांक 19.09.2026 बाद दोपहर 02:00 बजे अपर नगर आयुक्त कार्यालय नगर निगम सहारनपुर में आमंत्रित की गयी है।

इच्छुक बोलीदाता ठेके के निमित्त जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र व शपथ पत्र (फोटो सहित) जिसमें यह अंकित हो कि शपथकर्ता किसी संस्था का बकायेदार नहीं है और न ही कभी ब्लैक लिस्ट हुआ है, 01 वर्ष का मेला लगाने का अनुभव, 3 लाख 10 हजार रुपये की जमानत राशि की एफ.डी.आर/नगद धनराशि/आरटीजीएस जमा करते हुए नीलामी/बोली में भाग ले सकते हैं। (मेले की अन्य शर्तें संलग्न)

प्रभारी रिकॉर्ड
नगर निगम सहारनपुर।

मा0 महापौर महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. निविदा समिति मेला गुघाल को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. श्री मोहित तलवार, आई0टी0 ऑफिसर (आउटसोर्स) को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना पत्र व मेले की शर्तों को नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
4. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।

18/09/2026
प्रभारी रिकॉर्ड
नगर निगम सहारनपुर।

नगर निगम, सहारनपुर।

रिकार्ड अनुभाग

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	कार्य का नाम	वर्ष 2026 में न्यूनतम ऑफर धनराशि (रु०)	जमानत/धरोहर राशि (रु०)	टैण्डर का मूल्य मय जी.एस.टी. (रु०)	मेला अवधि
1.	R.R.07/Mela/ /2026-27	टेका/नीलामी मेला म्हाडी	30,60,000.00	3,10,000.00 (तीन लाख दस हजार)	1298.00 (अप्रतिदेय)	21.09.2026 से 23.09.2026 तक

निविदा शर्तें

- निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म को टैण्डर मूल्य, धरोहर धनराशि वेबसाईट etender.up.nic.in पर ऑनलाईन जमा करनी होगी। बिना टैण्डर मूल्य, धरोहर राशि के निविदा मान्य नहीं होगी व शर्त निविदा पर भी विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 30 दिवस तक होगी एवं एक बार प्रस्तुत की गयी निविदा वापस नहीं होगी।
- मेला म्हाडी की अवधि दिनांक 21.09.2026 से 23.09.2026 तक होगी।
- निविदा की उच्चतम दर ई-निविदा के साथ दी गयी बी.ओ.क्यू. में जी0एस0टी0 सहित डालनी होगी। न्यूनतम ऑफर धनराशि रु० 30,60,000.00 (तीस लाख साठ हजार रु० मात्र) की होगी। इससे कम ऑफर की निविदा में विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म को निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है :-

5.1 जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन

5.2 पैन कार्ड

5.3 आधार कार्ड

5.4 जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।

5.5 जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र अंकन रु०- 12,00,000.00 अथवा समान धनराशि की बैंक सॉल्वेंसी।

5.6 निविदादाता/नीलामीदाता को स्वयं की फर्म का अनिवार्य रूप से न्यूनतम 01 मेला आयोजन का अनुभव प्रमाण पत्र।

5.7 निर्धारित स्टाम्प मय नोटरी (फोटो सहित) ऑनलाईन निविदा में अपलोड करने अनिवार्य होंगे।

- समस्त प्रपत्र अनिवार्य रूप से ऑनलाईन अपलोड करना होगा। समस्त वांछित प्रपत्र की मूल प्रति निविदा खोले जाने के समय मांगी जा सकती है। मूल दस्तावेज एवं शपथ-पत्र किसी कार्य दिवस में जमा किये जा सकते हैं अथवा मांगे जाने पर निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
- यह कि निविदा में मांगे गये दस्तावेज की प्रति संलग्न न होने की दशा में फर्म अपात्र मानी जायेगी।
- निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म को अंकन 100/- रुपये का स्टाम्प पेपर नोटरी द्वारा सत्यापित स्व-घोषणा प्रपत्र/शपथ पत्र किसी भी विभाग में डी-बार न होने, किसी विभाग का बकाया न होने एवं किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट न होने के सम्बन्ध में देना होगा।
- स्टाम्प पेपर नगर निगम सहारनपुर के नाम से क्रय किया जाना आवश्यक है, साथ ही शपथ पत्र में पत्रावली/बिड संख्या एवं कार्य के नाम का उल्लेख होना भी आवश्यक है, ऐसा उल्लेख न होने की दशा में निविदा मान्य नहीं होगी।
- यह कि निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म को निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठों पर मोहर सहित हस्ताक्षर करने होंगे, जिससे निविदा के प्रत्येक शब्द पर निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म की सहमति मानी जायेगी।
- निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म द्वारा निविदा के साथ अपना नाम, पत्राचार का पता, टेलीफोन/मो० नं०, ई-मेल आदि दर्ज करना अनिवार्य होगा।
- यह कि सफलीभूत निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म को उक्त निविदा की 50 प्रतिशत धनराशि व अनुबन्ध हेतु निर्धारित मूल्य के (04 प्रतिशत) स्टाम्प शुल्क 03 दिवस के अन्दर जमा करना होगा। अनुबन्ध पश्चात् कार्यदिश निर्गत किया जायेगा। तदोपरान्त निविदा की 50 प्रतिशत अवशेष धनराशि कार्यदिश की तिथि से 05 दिन के अन्दर जमा करनी होगी, ऐसा न करने पर जमा जमानत राशि एवं निविदा धनराशि जब्त कर निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार नगर आयुक्त को होगा।
- यह कि नीलामी की शर्त संख्या 12 का उच्चतम निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म द्वारा उल्लंघन करने पर उसके द्वारा जमा जमानत राशि एवं निविदा धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा एवं निविदा निरस्त करते हुये भविष्य में होने वाले निगम के निविदाओं के लिये डी-बार/ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा।
- यह कि अपरिहार्य कारणों से जैसे प्राकृतिक आपदा (भारी वर्षा, आगजनी व अन्य) अथवा प्रशासनिक कारणवश यदि मेला अवधि में मेला बाधित रहता है, तो मेला अवधि बढ़ाने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर को होगा।
- यह कि सफलीभूत निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म द्वारा उक्त कार्य को किसी अन्य फर्म/संस्था/व्यक्ति को किसी भी दशा में हस्तान्तरित (Sublet) नहीं करेगा, यदि इस प्रकार का तथ्य संज्ञान में आने पर निविदा निरस्त कर जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- यह कि मेले में जनसामान्य की सुरक्षा मानको को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है, या मेला स्थल पर किसी भी प्रकार की अग्रिय घटना कारित होती है, तो उसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म का होगा।
- यदि किसी निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म द्वारा कोई तथ्य छिपाया जाता है, और वह तथ्य छिपाकर निविदा प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है, और बाद में तथ्य उजागर होने पर, तो ऐसे निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म के विरुद्ध जमानत राशि जब्त करने व डी-बार/ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जायेगी, अपराधिक कृत्य पाये जाने पर प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी।
- यह कि यदि निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रपत्र/अभिलेख कूटरचित पाये जाते हैं, तो सम्बन्धित निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
- यह कि निविदा के निमित्त भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कोई कर अधिरोपित होता है, तो निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म नियमानुसार उपरोक्त के लिए उत्तरदायी व पाबन्द होगा।

20. यदि यह संज्ञान में आता है, कि सम्बन्धित निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म सक्रिय रूप से मरफिया गतिविधियों/असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अनुबन्ध उसी समय निरस्त कर जमानत की धनराशि जब्त करते हुये फर्म को डी-बार/काली सूची में डाला जायेगा।
21. यह कि निविदा के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर का होगा तथा निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर में निहित होगा। आवश्यकतानुसार शर्तों में संशोधन का अधिकार भी नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर में निहित होगा।
22. सफलभूत निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म द्वारा मूल शपथ-पत्र अनिवार्य रूप से जमा कराने होंगे।
23. सफलभूतनिविदादाता/नीलामीदाता/फर्म द्वारा निर्धारित स्थल पर ही वसूली करेगा, ऐसा न करने पर उसे निविदा की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए निविदा निरस्तीकरण/जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी।
24. निविदा में किसी भी विभाग के द्वारा घोषित बकायेदार/ब्लैक लिस्टेड/डी-बार निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे।
25. शासनादेश संख्या टी0सी0/314/8/डी0एल0बी0/2020 दिनांक 01.01.2021 के क्रम में अंकन 10-10 रुपये के 02 स्टाम्प पेपर पर क्रमशः उक्त समस्त पत्र जो निविदा के साथ संलग्न है, सही है या अन्य कोई वाद विगत 90 दिन से किसी मा0 न्यायालय सहारनपुर में योजित नहीं है।
26. निविदा के साथ संलग्न समस्त शपथ पत्र निविदा तिथि प्रारम्भ होने के उपरान्त की तिथि का ही मान्य होगा।
27. यह कि निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य संतोषजनक तरीके से पूर्ण नहीं किया जाता है तो नगर निगम सहारनपुर द्वारा निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म की जमानत व निविदा में स्वीकृत जमा राशि जब्त कर ली जायेगी तथा फर्म को डी-बार/काली सूची में डाल दिया जायेगा।
28. निविदा के साथ अपलोड की गई शर्तें व निविदा सूचना निविदा का मुख्य भाग होगी। निविदा में उल्लेखित शर्तें पूरी न होने एवं सशर्त निविदा पर किसी भी स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा और उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
29. किसी भी तरह का बकाया निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म पर रहने पर उस बकाया धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूल किया जायेगा।
30. तकनीकी एवं वित्तीय बिड खुलने के उपरान्त कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
31. सफलभूत निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म को अपने व्यय पर शर्तों के अनुकूल निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा। स्टाम्प निविदा आमन्त्रित तिथि के उपरान्त का ही स्वीकार किया जायेगा। स्टाम्प की कमी/फर्जी/कूटरचित पाये जाने पर केवल निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म ही जिम्मेदार होगी। इसलिए फर्म का उत्तरदायित्व होगा कि वह सहायक आयुक्त स्टाम्प से स्टाम्प पेपर के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें।
32. किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जुर्माना करने, जमानत धनराशि जब्त कर ठेका निरस्त करने तथा फर्म को प्रतिबन्धित/ब्लैक लिस्ट/डी-बार करने का अधिकार नगर आयुक्त को होगा।
33. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को अवकाश होता है तो निविदा अगले दिन उसी समय खोली जायेगी। इस हेतु अलग से कोई सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं की जायेगी।
34. उक्त निविदा से सम्बन्धित जानकारी रिकार्ड अनुभाग, नगर निगम, सहारनपुर में मेला लिपिक/रिकार्ड कीपर से किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
35. सफल निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म की धरोहर राशि कार्य समाप्ति के 01 माह उपरान्त संतोषजनक कार्य होने की स्थिति में वापस की जायेगी।
36. निविदा आमन्त्रणकर्ता को परिशिष्ट/शुद्धि पत्र जारी करने का अधिकार है। जो किसी भी समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जायेगा। सभी सम्भावित निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म को सलाह दी जाती है कि नियमित रूप से ई-निविदा पर निगरानी रखे।
37. किसी भी वाद की स्थिति में मा0 सिविल न्यायालय सहारनपुर का निर्णय अंतिम होगा, जो सभी को मान्य होगा।
38. किसी भी निविदा को नियमानुसार स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा।

Abhishek
07/09/2026
(आलोक कुमार सैनी)
रिकार्ड कीपर
8477008002

M
07/09/2026
(जय प्रकाश यादव)
प्रभारी रिकार्ड
9999992604

Pradeep
07/09/2026
(प्रदीप कुमार यादव)
वरिष्ठ रिकार्ड प्रभारी/
अपर नगर आयुक्त
8477008003

निविदा पुनरीक्षण समिति :-

M
07/09/2026
(जय प्रकाश यादव)
प्रभारी रिकार्ड
9999992604

Mang
07/09/2026
(मनोज कुमार त्रिपाठी)
लेखाधिकारी
8451206800

Pradeep
07/09/2026
(सच्चिदानन्द त्रिपाठी)
मुख्य नगर लेखा परीक्षक
9451427574

Pradeep
07/09/2026
(प्रदीप कुमार यादव)
वरिष्ठ रिकार्ड प्रभारी/
अपर नगर आयुक्त
8477008003